



श्री क्रम व्या 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18/23	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>रंजित राम, पिता स्व० रघुनन्दन राम, ग्राम-सिरसी, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-सिरसी, थाना नं०-121, खाता संख्या-27, प्लॉट संख्या-387, रकवा-02 डी० भूमि पूनम कुमारी, पिता अर्जुन राम, पति सचिन कुमार रविदास, ग्राम-पहरा, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-422/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-2265/रा०, दिनांक-04.07.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के पत्रांक 943 दिनांक 25.07.2023 द्वारा जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत दरसन दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 2.12 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 42 डी० है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-28/ पर बढ़ना वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2019-20 तक लगान रसीद निर्गत है। जमाबंदी रैयत आवेदक के परदादा है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा/आवेदक के हिस्से की भूमि 7 डी० है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा-5 डी० भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है; साथ ही BLR Act Section 4b से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदकों के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के दिप्पणी तारीख
1	2	3
	<p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में रंजित राम, पिता स्व0 रघुनन्दन राम, ग्राम-सिरसी, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-सिरसी, थाना नं0-121, खाता संख्या-27, प्लॉट संख्या-387, रकबा-02 डी0 भूमि पूनम कुमारी, पिता अर्जुन राम, पति सविन कुमार रविदास, ग्राम-पहरा, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </div> <div style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </div> </div>	